

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—सब-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 320] नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 31, 1982/कार्तिक 9, 1904  
No. 320] NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 31, 1982/KARTIKA 9, 1904

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 235/82-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1982

सा० का० नि० 637 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कलंकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार

के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 235/81-सीमा शुल्क, तारीख 2 नवम्बर, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में “31 अक्टूबर, 1982” शब्दों और शब्दों के स्थान पर “31 अक्टूबर, 1983” शब्द और शब्द रखे जाएंगे।

[का० सं० 355/159/82-सी० शु०-I]

एन० एसिधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 235/82-CUSTOMS

New Delhi, the 31st October, 1982

**G.S.R. 637(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 235/81-Customs, dated the 2nd November, 1981 namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word “31st October, 1982” the figures, letters and word “31st October, 1983” shall be substituted.

[F. No. 355/159/82-Cus.-I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.